



कर्मचारी राज्य बीमा निगम  
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)  
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION  
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)



मुख्यालय  
Headquarters  
पंचदीप भवन सी०आई०जी रोड, नई दिल्ली-110002  
PANCHDEEP BHAWAN, C.I.G. MARG, NEW DELHI-110 002  
Phone: 011-23604700 Email: dir-gen@esic.nic.in  
Website: www.esic.nic.in / www.esic.in

पत्रांक: ए-49/17/6/2025-रा.भा.

दिनांक: 25-09-2025

सेवा में,

- बीमा आयुक्त, राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी, क.रा.बी.निगम,
- सभी अपर आयुक्त / क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी.निगम।
- सभी निदेशक / प्रभारी संयुक्त निदेशक / प्रभारी उप निदेशक, उप क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी.निगम।
- निदेशक, निदेशालय(चिकित्सा), दिल्ली/नोएडा।
- सभी चिकित्सा अधीक्षक, क.रा.बी.निगम अस्पताल/आदर्श अस्पताल।
- सभी संकायाध्यक्ष/ कार्यालय प्रमुख, क.रा.बी.निगम, चिकित्सा महाविद्यालय/ दंत्य महाविद्यालय/ नर्सिंग महाविद्यालय/ स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान।

**विषय: श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से प्राप्त अपील।**

महोदया/महोदय,

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से 14 सितंबर, 2025 को हिंदी दिवस के अवसर पर माननीय श्रम और रोजगार मंत्री जी तथा माननीया श्रम और रोजगार राज्य मंत्री जी के संदेश तथा सचिव (श्रम और रोजगार) महोदया की अपील की प्रति सूचनार्थ एवं यथापेक्षित कार्रवाई हेतु संलग्न है।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय  
Digitally signed by  
Sham Sunder Kathuria  
Date: 25-09-2025  
18:18:20  
(श्याम सुंदर कथूरिया)  
निदेशक (राजभाषा)

प्रतिलिपि:

वेबसाइट सामग्री प्रबन्धक को इसे क.रा.बी.निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ प्रेषित।

निदेशक (राजभाषा)

डॉ. मनसुख मांडविया  
DR. MANSUKH MANDAVIYA



मंत्री  
श्रम एवं रोज़गार  
व युवा कार्यक्रम एवं खेल  
भारत सरकार  
Minister  
Labour & Employment  
and Youth Affairs & Sports  
Government of India

14 सितंबर 2025

## संदेश

हिंदी दिवस के अवसर पर श्रम और रोजगार मंत्रालय तथा इसके नियंत्रणाधीन कार्यालयों के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को हार्दिक शुभकामनाएं।

भाषा विचार एवं भाव की अभिव्यक्ति का प्रभावी माध्यम है और भावों के संप्रेषण, विचारों के आदान-प्रदान एवं विशाल जनमानस के संबोधन हेतु एक ऐसी भाषा की आवश्यकता होती है, जो आम लोगों या अधिकांश लोगों द्वारा बोली, समझी जाने वाली भाषा हो। भारतीय संविधान निर्माताओं से इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया एवं संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 में राजभाषा संबंधी प्रावधान किए। चूंकि हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिनांक 14 सितंबर, 1949 को दिया गया था अतः प्रत्येक वर्ष दिनांक 14 सितंबर को 'हिंदी दिवस' के रूप में मनाया जाता है।

यह सर्वविदित है कि हिंदी भाषा ने आज के समय के अनुसार हमारे देश के भाषिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आधुनिक तकनीकी पक्षों को समाहित किया है। अब यह भाषा मात्र संवाद की भाषा तक ही सीमित नहीं है बल्कि रोजगार की भाषा भी बन चुकी है। इसका प्रमुख कारण हिंदी का स्वयं को तकनीकी रूप से सक्षम बना लेना और रोजगार सृजित करने वाली भाषा के रूप में विकसित होना है।

हिंदी में काम करना बहुत ही आसान एवं सहज है। सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि हम सरल एवं सहज हिंदी का प्रयोग करें। हमारे मंत्रालय का प्रमुख कार्य समाज के संगठित और असंगठित वर्ग के कामगारों तक सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाना है और यह तभी बेहतर ढंग से हो सकता है जब हम अपने काम काज में सरल हिंदी का प्रयोग करें।

मैं आह्वान करता हूं कि आप सभी अपना समस्त प्रशासनिक कार्य राजभाषा हिंदी में ही संपन्न करने हेतु कृत संकल्पित होकर राष्ट्रभाषा हिंदी का गौरव बढ़ाएँ।

पुनः हिंदी दिवस की शुभकामनाओं सहित।

जय हिन्द !

(डॉ. मनसुख मांडविया)

शोभा करांदलाजे  
SHOBHA KARANDLAJE



राज्य मंत्री  
श्रम एवं रोजगार और  
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम  
भारत सरकार  
**Minister of State For  
Labour & Employment and  
Micro, Small & Medium Enterprises  
Government of India**

14 सितंबर 2025

### संदेश


हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं।

भाषा विचारों एवं भावनाओं को व्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम है। सरल, सहज और बोधगम्य राजभाषा, शासन-प्रशासन में जनसाधारण की सहभागिता सुनिश्चित करती है। इसे ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान सभा ने 14 सितंबर, 1949 को देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी भाषा को संघ की राजभाषा का दर्जा प्रदान किया था। इसलिए हम प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को 'हिंदी दिवस' के रूप में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं।

संघ की राजभाषा नीति के अनुसार हमारा संवैधानिक दायित्व है कि हम राजभाषा संबंधित अनुदेशों का अनुपालन करें। हम स्वयं मूल कार्य हिंदी में करते हुए अधिकारियों / कर्मचारियों से राजभाषा अधिनियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराएं ताकि आमजन सभी सरकारी योजनाओं व कार्यक्रमों का लाभ, निर्बाध रूप से उठा पाएं।

मैं सभी वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारियों एवं कार्यालय प्रमुखों से अनुरोध करती हूं कि वे अपने कार्यालयों में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत रुचि लें और स्वयं हिंदी में कार्य करके अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करें। आइए, हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर हम यह संकल्प लें कि हम सभी उत्साहपूर्वक और गर्व के साथ अपना कार्य हिंदी में करेंगे और राजभाषा अधिनियम, नियम एवं वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित प्रावधानों का अनुपालन करेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि हमारे सामूहिक प्रयासों से हम अपना लक्ष्य अवश्य प्राप्त करेंगे और देश में हिंदी के प्रयोग को अभूतपूर्व नए आयाम देंगे।

जय हिन्द !

  
(शोभा करांदलाजे)



सत्यमेव जयते

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT  
SHRAM SHAKTI BHAVAN  
NEW DELHI - 110001

श्रम और रोजगार मंत्रालय

श्रम शक्ति भवन

नई दिल्ली-110001

Tele : 91-11-23710265

E-mail : secy-labour@nic.in

वंदना गुरनानी

भारत सरकार के सचिव

**VANDANA GURNANI**

Secretary to Govt. of India

14 सितंबर 2025

## अपील

हिंदी दिवस के अवसर पर मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं।

जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमारे संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में अंगीकार किया गया है। राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए हमारा मंत्रालय पूर्णतः प्रतिबद्ध है। यह बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे मंत्रालय में प्रति वर्ष 14 सितंबर, को हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया जाता है। मैं इस अवसर पर मंत्रालय के सभी अधिकारियों / कर्मचारियों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ तथा उनसे अनुरोध करती हूँ कि इस पखवाड़े के दौरान आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिताओं में बढ़-चढ़ कर भाग लें तथा इसे सफल बनाएं।

राजभाषा नियम, 1976 के नियम 12 के अनुसार, केन्द्र सरकार के प्रत्येक कार्यालय के कार्यालय प्रमुख का यह उत्तरदायित्व है कि वह अपने कार्यालय में राजभाषा अधिनियम, नियमों तथा समय-समय पर राजभाषा विभाग द्वारा जारी अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराएं। तदनुसार, मैं मंत्रालय के सभी अधिकारियों / कर्मचारियों से अपील करती हूँ कि वे अपना कार्यालयी कामकाज राजभाषा हिंदी में करें तथा राजभाषा अधिनियम एवं नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु गंभीरतापूर्वक प्रयास करें।

सरकारी कामकाज में सरल हिंदी के प्रयोग से हम मंत्रालय की कल्याणकारी योजनाओं तथा कार्यक्रमों के लाभ आम जन तक पहुंचा सकते हैं। अतः मैं पुनः मंत्रालय के सभी कार्मिकों से अपील करती हूँ कि वे अपना सरकारी कार्य हिंदी में करें ताकि राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके।

वंदना गुरनानी

(वंदना गुरनानी)

मंत्रालय के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी